न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम (अलवर)
पीठासीन अधिकारी श्री राजकुमार कस्वा आ0ए0एस0

मुकदमा संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
140/12	03.07.2012	22.07.2019

1. चन्द्रभान पुत्र श्री औमप्रकाश जाति अहीर निवासी लाहडोद की ढ़ाणी तहसील कोटकासिम जिला–अलवर राज0। हाल आबाद मकान नं0 173, स्कीम नं0 8, अलवर तहसील व जिला अलवर राज0।
2. सुनीता पुत्र औमप्रकाश पत्नी नरेंन्द्र यादव जाति अहीर ग्राम लाहडोद की ढ़ाणी तहसील कोटकासिम जिला–अलवर राज0। हाल मोहल्ला नैनसुख, बहरोड तहसील बहरोड जिला–अलवर राज0।
3. कमला पत्नी औमप्रकाश जाति अहीर निवासी ग्राम लाहडोद तहसील कोटकासिम जिला–अलवर राज0। हाल आबाद मकान नं0 173, स्कीम नं0 8, अलवर।

:–
प्रार्थीगण/वादीगण

:: बनाम ::

1. औमप्रकाश पुत्र श्री देवकरण
2. रामौतार पुत्र श्री रामनारायण
3. महेन्द्र कुमार पुत्र रामौतार
4. भुतेरी देवी पत्नी रामनिवास
5. सूरजी देवी पत्नी साधूराम
6. चन्द्रकला पत्नी रामधन
7. रतनसिंह
8. रामफल पुत्रांन देवकरण जाति अहीरान ग्राम लाहडोद तहसील कोटकासिम जिला–अलवर राज0।
9. राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा बीबीरानी जरिये शाखा प्रबंधक
10. श्रीमान उप–पंजियक अधिकारी, कोटकासिम जिला–अलवर राज0।
11. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी अधिकारी (लैण्ड होल्डर) तहसीलदार साहब, कोटकासिम जिला–अलवर राज0।

:–अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 जाब्ता दीवानी

उपस्थितः–

1. श्री मनोज कुमार यादव अभिभाषक प्रार्थी
2. श्री रामफल यादव अभिभाषक अप्रार्थीगण
3. श्री राकेश कुमार अभिभाषक अप्रार्थीगण

Scanned by CamScanner

प्रार्थी ने मय अभिभाषक उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज0 टी0ऐ0 आदेश 39 नियम 1 व 2 दफा 151 जा0दी0 का इस आशय का पैस किया कि जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि विवादित हाल आराजी मिन प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थीगण की हिन्दु मुश्तर्का खानदान की दादालाई आराजीयात है। जिसमें मिन प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थीगण के हक व हकूक बाई बर्थ निहित है। अप्रार्थी सं0 1 जो कि मिन प्रार्थीगण का पिता व पति है उसके नाम परिवार का कर्ता–धर्ता होने के कारण दर्ज चली आ रही है। अप्रार्थी सं0 1 दीगर लोगो के बहकावे में आया हुआ है। जिस कारण अपना व अपने परिवार का भला बुरा सोचने–समझने की शक्ति खो चुका है व अपनी गलत आदतो से ग्रस्त है। जिस कारण अप्रार्थी सं0 1 ने विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 483/395 रकबा 0.11 बीघा का बेचान अप्रार्थी सं0 2 रामौतार पुत्र श्री रामनारायण को व विवादित आराजी खसरा नम्बर 357/0.37 हैक्टयर का बेचान अप्रार्थीया सं0 4 भुतेरी को, विवादित आराजी खसरा नम्बर 485/392 रकबा 0.07 बीघा का बेचान अप्रार्थी सं0 3 महेन्द्र कुमार को खिलाफ मौका व खिलाफ कानून किया है। जबकि अप्रार्थी सं0 2, 3, 4 का विवादित खसरा नम्बरानो उपरोक्त पर कभी भी कब्जा काश्त नही रहा है और ना अब है। वो गैरवास्ता गैरकाबिज उपरोक्त विवादित नम्बरान है। विवादित आराजी खसरा नम्बरान मुताबिक खाता सं0 2 मे दर्ज है उसमें अप्रार्थी सं0 1 के हक हिस्से में से मिन प्रार्थीगण अपने 1/4 भाग पर व विवादित आराजी मुताबिक खाता सं0 3 में अप्रार्थी सं0 1 के हिस्से में से अपने 1/4 हिस्से पर व विवादित आराजी मुताबिक खाता सं0 83 में अप्रार्थी सं0 1 के 10/37 भाग में 1/3 भाग में से अपने 1/4 हिस्से पर अप्रार्थीगणो के साथ सामलात में काबिज काश्त है। मौके पर वास्तविक कब्जा काश्त है। मिन प्रार्थीगण वादपत्र के जिमन नं0 3 में दर्ज विवादित आराजीयात में अपने हक हिस्से पर अप्रार्थीगणो के साथ सामलात में काबिज काश्त है। परन्तु अप्रार्थीगण आये रोज मिन प्रार्थीगण के हक हिस्से के कब्जा काश्त में मजामहत व मदालखत पैदा करते रहते है। दिनांक 02.07.2012 को अप्रार्थीगणों ने मिन प्रार्थीगण के हक हिस्सो के कब्जा काश्त में मजामहत व मदालखत पैदा की व जब्रन कब्जा करने का असफल प्रयास किया व विवादित आराजीयात को दीगर लोगो को बेचान करने की धमकिया अप्रार्थीगणो ने दी। यदि अप्रार्थीगण अपने इस नापाक इरादो में कामयाब हो गये तो मिन प्रार्थीगण को अपनी दादालाई आराजीयात के उपयोग–उपभाग से वंचित होना पडेगा। अपूरनीय क्षति होगी। जिसकी पूर्ति किसी भी सूरत में रूपयो में नही ऑकी जा सकेगी। इसलिये मिन प्रार्थीगण अप्रार्थीगण को जरिये हुक्मईम्तनाई चन्दरोजा से पाबंद करवाने के अधिकारी है। विवादित आराजीयात मिन प्रार्थीगण की हिन्दु मुश्तर्काखानदान की दादालाई आराजीयात है। जिसमें मिन प्रार्थीगण के हक व हकूक बाई बर्थ निहित है। इसलिये सुविधा का संतुलन व नापूर्ति होने वाली क्षति बहक मिन प्रार्थीगण है।

अतः प्रार्थना है कि अप्रार्थीगण को जरिये हुक्मईम्तनाई चन्दरोजा से पाबंद फरमाया जावे कि वो विवादित आराजीयात हाल खसरा नम्बरान 375/0.32, 483/395/0.11, 277/1.42, 368/0.39, 357/0.357/0.37, 485/392/0.07, 400/0.4700 हैक्टयर वाके ग्राम लाहडोद तहसील कोटकासिम जिला–अलवर राज0

खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

को दीगर जगह रहन–बैय हिबा लीज इत्यादि द्वारा मुन्तकिल ना करे, ना ही प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में मजामहत व मदालखत पैदा करे, ना जब्रन कब्जा करे, ना जब्रन बेदखल करे, मौका व राजस्व रिकोर्डस की यथास्थिति कायम रखे, ना ही अप्रार्थी सं0 10 विवादित आराजीयात की बाबत किसी भी प्रकार के दस्तावेजात पंजिबद्ध व दस्तदीक करे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 ने न्यायालय में उपस्थित होकर अपना जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जिसमें अंकित किया कि प्रार्थीगणो ने झूठा शपथपत्र व झूठा वादपत्र पेश किया है। जिससे प्रार्थीगणों का प्राईमाफेसाई आयद व साबित नही होता है। मिन अप्रार्थी संख्या–1 महनती व परिवार का भला बुरा सोचने की क्षमता रखता हूं। उक्त अराजीयात का बेचान व तबादला मिन अप्रार्थी संख्या–1 ने प्रार्थीगणों की सहमति से किया था। उस वक्त प्रार्थीगण सहमत थे लेकिन अब दीगर लोगो के बहकावे में आये हुए है। दिनांक 02.07.2012 की समस्त कहानी प्रार्थीगणो ने नितान्त गलत व मिथ्या, बनावटी दर्ज की है। मिन अप्रार्थी संख्या–1 ने प्रार्थीगणो की सहमति से बेचान किया है। प्रार्थीगणो को कोई अपूरणीय क्षति नही होती है और ना ही प्रार्थीगण मिन अप्रार्थी संख्या–1 को किसी भी सूरत में हुक्मईम्तनाई चन्दरोजा से पाबन्द कराने का अधिकारी नही है। मिन अप्रार्थी भूतपूर्व सैनिक है। प्रार्थी संख्या 1 मिन अप्रार्थी संख्या–1 का सगा पुत्र है। अतः जवाब पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी मिन अप्रार्थी संख्या–1 को किसी भी सूरत में जरिये हुक्मईम्तनाई चन्दरोजा से पाबन्द कराने का अधिकारी नही है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

अप्रार्थी संख्या 4 व 8 ने न्यायालय में उपस्थित होकर अपना जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जिसमें अंकित किया कि विवादित आराजी हिन्दु मुश्तर्फा खानदान की दादालाई आराजी नही है। वास्तविकता यह है कि औमप्रकाश शिक्षित व्यक्ति है और प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 8 एक ही परिवार के है। यानी प्रार्थीगणो का अप्रार्थी संख्या 8 सगा चाचा है और आराजी ख0न0 483/395, 357, 485/392 के बेचान की जानकारी प्रार्थीगणो को सदैव से रही है और इनकी सलाह से ही औमप्रकाश द्वारा बेचान किया गया था। उक्त खरीद से ही क्रेतागण काबिज काश्त है। प्रार्थी सं0 1 पुलिस में नौकरी करता है और नाजायज तंग व परेशान करने की नियत से लगत तथ्य दर्ज करते हुये प्रार्थनापत्र पेश किया है। जो प्रार्थीगणो ने खसरा नम्बर वादपत्र में दर्ज किये है उसमें प्रार्थीगण का कोई हक हिस्सा नही है क्योंकि स्वयं औमप्रकाश द्वारा अपनी जिस्मानी मेहनत करके यह भूमि खरीद की चूकि देवकरण जी इनके पिता थे और कर्ता परिवार थे इसलिये उनके नाम बैयनामें कराये गये बल्की ये संयुक्त परिवार की भूमि नही थी। बल्की औमप्रकाश द्वारा खरीद की हुई थी। प्रार्थीगण गैरवास्ता गैरकाबिज विवादित आराजी है। गलत तथ्य दर्ज करते हुये ये दावा पेश किया है क्योंकि जबाबदारान एक ही गॉव के एक ही परिवार के है इसलिये समस्त जानकारी है। बेचान जो किया गया है वो विधिसम्मत किया गया है। इसलिये प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र काबिल खारिज है, खारिज फरमाया जावे।

दिनांक 02.07.2012 की समस्त कहानी प्रार्थीगणो ने मिथ्या, बनावटी, मनघडन्त दर्ज की है। प्रार्थीगण को कोई अपूरनीय क्षति नही होती है। खरीदशुद्धा आराजी का

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

अमल राजस्व रिकोर्डस में हम अप्रार्थीगणो के नाम खातेदारी का हो रहा है। प्रार्थीगण गैरवास्ता गैर काबिज विवादित आराजी है। प्रार्थीगण मिन अप्रार्थीगण रिकोर्डेड खातेदार काश्तकार को किसी भी सूरत में जरिये हुक्मईम्तनाई चन्दरोजा से पावंद करवाने के अधिकारी नही है। प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र काबिल खारिज है, खारिज फरमाया जावे। प्रार्थना पत्र का जिमन न0 6 लगत है, अस्वीकार है। सुविधा का संतुलन व नापूर्ति होने वाली क्षति वहक मिन अप्रार्थीगण है। प्रार्थनापत्र का जिमन नं0 7 काबिल गौर अदालत श्रीमान है।

अतः प्रार्थना गलत है, अस्वीकार है। प्रार्थीगण मिन अप्रार्थीगण रिकार्डेउ खातेदार काश्तकार को किसी भी सूरत में जरिये हुक्मईम्तनाई चन्दरोजा से पावंद करवाने के अधिकारी नही है। प्रार्थीगणों ने समस्त तथ्य गलत व मिथ्या दर्ज अपने प्रार्थना पत्र में किये है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र काबिल खारिज है, खारिज फरमाया जावे।

दिनांक 06.11.2015 को अप्रार्थी सं0 1 ने अपना जवाब पेश करते हुए कहा कि प्रार्थीगणो ने उक्त वादपत्र अदालत श्रीमान में पेश किया हुआ है। प्रार्थीगणों को उक्त अनुवानी वाद मे कामयावी की कतई भी उम्मीद नही करनी चाहिये। प्रार्थीगणो ने झूँठे तथ्य दर्ज कर झूठा वादपत्र, शपथ पत्र पेश किया है। जिनसे प्रार्थीगणो का केस प्राइमाफेसाई आयद व सावित नही होता है। प्रार्थना पत्र का जिमन नं0 3 सिर्फ इतना स्वीकार है कि आराजीयात दादालाई आराजीयात है। मिन अप्रार्थी सं0 1 मेहनती व परिवार का भला–बुरा सोचने की क्षमता रखता हूं। उक्त आराजीयात का बेचान व तबादला मिन अप्रार्थी सं0 1 ने प्रार्थीगणो की सहमति से किया था। उस वक्त प्रार्थीगण सहमत थे। लेकिन अब किसी दीगर व्यक्तियों के बहकावे में आये हुये है। दिनांक 02.07.2012 की समस्त कहानी प्रार्थीगणों ने नितान्त गलत, मिथ्या वो बनावटी दर्ज जिमन में की है। मिन अप्रार्थी सं0 1 ने प्रार्थीगणो की सहमति से उक्त खसरा नम्बरो में दर्ज अपने हिस्से का बेचान कर दिया है व कब्जा भी वक्त बेचान ही दे दिया था। प्रार्थीगणों को कोई अपूरनीय क्षति नही होती है और ना ही प्रार्थीगण, मिन अप्रार्थी सं0 1 को किसी भी सूरत में जरिये हुक्मईम्तनाई चन्दरोजा से पाबन्द करवाने के अधिकारी नही है। प्रार्थना पत्र का जिमन न0 6 गलत है, अस्वीकार है। सुविधा का संतुलन व नापूर्ति होने वाली क्षति बहक मिन अप्रार्थी सं0 1 हूं।

अतः प्रार्थना गलत है, अस्वीकार है। मिन अप्रार्थी भूतपूर्व सैनिक है। जिसकी उम्र करीब 66 साल है जो कि सैना में सिपाई के पद पर कार्यरत था। प्रार्थी सं0 1 मिन अप्रार्थी सं0 1 का सगा पुत्र है। जिसका मिन अप्रार्थी ने बहुत ही लाड–प्यार से लालन–पोषण किया था व सैनिक स्कूल में व अच्छे में व अच्छे संस्थानो में मंहगे खर्चे से पढ़ाया था। पढ़ा लिखाकर दिल्ली पुलिस में इंस्पेक्टर से भर्ती कराया था जो कि अब इंस्पेक्टर के पद पर थाना बाडा हिन्दूराव, दिल्ली में कार्यरत है व पुत्रियो को पढ़ा लिखाकर अच्छी शादी कर दी। मिन अप्रार्थी सं0 1 ने अपनी कमाई से अपनी पत्नी तमला प्रार्थीगा सं0 3 के नाम एक प्लाट न0 173, स्कीम नं0 8, गॉधीनगर, अलवर में 230 वर्गगज का खरीद कर दिया जिसकी आज कीमत करीब 2 करोड रूपये है व एक मकान उक्त प्लाट के पीछे दो मंजिला है जो कि मिन अप्रार्थी सं0 1 ने अपनी पत्नी कमला के नाम से खरीद किया हुआ है व 16 बीघा कृषि भूमि गाँव बीरावास तहसील राजगढ़ जिला अलवर राज0 में अपनी पत्नी कमला के नाम से खरीद की हुई

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

Scanned by CamScanner

है। उक्त विवादित आराजीयात का बेचान व तकासमा मिन अप्रार्थी सं0 1 ने प्रार्थीगणो की सहमति से किया था जो रकम प्राप्त हुई उससे ही ग्राम बीरावास में 16 बीघा जमीन खरीद की जिसकी चारदीवारी 9 फूट उँची की हुई है जिसमें करीब 35 लाख रूपये खर्च हुये है। उक्त समस्त जायदाद प्रार्थीगणो के पास ही है। प्रार्थीगण अन्य दीगर लोगो के बहकावे में आये हुये है। मिन अप्रार्थी पर वृद्धावस्था में झूठा मुकदमा करके परेशान करते है और प्रार्थीगण मिन प्रार्थी सं0 1 को अपने साथ ही नही रखते है। जबकि मिन अप्रार्थी सं 1 ने अपने सारे जीवन की पूंजी प्रार्थीगणो को सुपुर्द कर रखी है। प्रार्थीगणो ने मिन अप्रार्थी सं0 1 को नाजायज तंग व परेशान करने की नियत से यह झूँठा प्रार्थनापत्र पेश किया है। प्रार्थी मिन अप्रार्थी सं0 1 को किसी भी सूरत में जरिये हुक्मईम्तनाई चन्दरोजा से पाबंद करवाने के अधिकारी नही है। प्रार्थीगणो का प्रार्थनापत्र काबिल खारिज है, खारिज फरमाया जावे।

विद्वांन प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। विद्वांन अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया और कहा कि विवादित हाल आराजी मिन प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थीगण की हिन्दु मुश्तर्का खानदान की दादालाई आराजीयात है। जिसमें मिन प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थीगण के हक व हकूक बाई बर्थ निहित है। अप्रार्थी सं0 1 जो कि मिन प्रार्थीगण का पिता व पति है उसके नाम परिवार का कर्ता–धर्ता होने के कारण दर्ज चली आ रही है। अप्रार्थी सं0 1 दीगर लोगो के बहकावे में आया हुआ है। जिस कारण अपना व अपने परिवार का भला बुरा सोचने–समझने की शक्ति खो चुका है व अपनी गलत आदतो से ग्रस्त है। जिस कारण अप्रार्थी सं0 1 ने विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 483/395 रकबा 0.11 बीघा का बेचान अप्रार्थी सं0 2 रामौतार पुत्र श्री रामनारायण को व विवादित आराजी खसरा नम्बर 357/0.37 हैक्टयर का बेचान अप्रार्थीया सं0 4 भुतेरी को, विवादित आराजी खसरा नम्बर 485/392 रकबा 0.07 बीघा का बेचान अप्रार्थी सं0 3 महेन्द्र कुमार को खिलाफ मौका व खिलाफ कानून किया है। जबकि अप्रार्थी सं0 2, 3, 4 का विवादित खसरा नम्बरानो उपरोक्त पर कभी भी कब्जा काश्त नही रहा है और ना अब है। वो गैरवास्ता गैरकाबिज उपरोक्त विवादित नम्बरान है। विवादित आराजी खसरा नम्बरान मुताबिक खाता सं0 2 मे दर्ज है उसमें अप्रार्थी सं0 1 के हक हिस्से में से मिन प्रार्थीगण अपने 1/4 भाग पर व विवादित आराजी मुताबिक खाता सं0 3 में अप्रार्थी सं0 1 के हिस्से में से अपने 1/4 हिस्से पर व विवादित आराजी मुताबिक खाता सं0 83 में अप्रार्थी सं0 1 के 10/37 भाग में 1/3 भाग में से अपने 1/4 हिस्से पर अप्रार्थीगणो के साथ सामलात में काबिज काश्त है। मौके पर वास्तविक कब्जा काश्त है। मिन प्रार्थीगण वादपत्र के जिमन नं0 3 में दर्ज विवादित आराजीयात में अपने हक हिस्से पर अप्रार्थीगणो के साथ सामलात में काबिज काश्त है। परन्तु अप्रार्थीगण आये रोज मिन प्रार्थीगण के हक हिस्से के कब्जा काश्त में मजामहत व मदालखत पैदा करते रहते है। दिनांक 02.07.2012 को अप्रार्थीगणों ने मिन प्रार्थीगण के हक हिस्सो के कब्जा काश्त में मजामहत व मदालखत पैदा की व जब्रन कब्जा करने का असफल प्रयास किया व विवादित आराजीयात को दीगर लोगो को बेचान करने की धमकिया अप्रार्थीगणो ने दी। यदि अप्रार्थीगण अपने इस नापाक इरादो में कामयाब हो गये तो मिन प्रार्थीगण को अपनी दादालाई आराजीयात के

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

उपभोग–उपभाग से वंचित होना पड़ेगा। अपूरणीय क्षति होगी। जिसकी पूर्ति किसी भी सूरत में रुपयो में नही आंकी जा सकेगी। इसलिये मिन प्रार्थीगण अप्रार्थीगण को जरिये हुक्मईम्तनाई चन्दरोजा से पाबंद करवाने के अधिकारी है। विवादित आराजीयात मिन प्रार्थीगण की हिन्दु मुश्तर्कखानदान की दादालाई आराजीयात है। जिसमें मिन प्रार्थीगण के हक व हकूक बाई वर्थ निहित है। इसलिये सुविधा का संतुलन व नापूर्ति होने वाली क्षति बहक मिन प्रार्थीगण है।

अतः प्रार्थना है कि अप्रार्थीगण को जरिये हुक्मईम्तनाई चन्दरोजा से पाबंद फरमाया जावे कि वो विवादित आराजीयात हाल खसरा नम्बरान 375/0.32, 483/395/0.11, 277/1.42, 368/0.39, 357/0.357/0.37, 485/392/0.07, 400/0.4700 हैक्टयर वाके ग्राम लाहखोद तहसील कोटकासिम जिला–अलवर राज0 को दीगर जगह रहन–बैय हिबा लीज इत्यादि द्वारा मुन्तकिल ना करे, ना ही प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में मजामहत व मदालखत पैदा करे, ना जब्रन कब्जा करे, ना जब्रन बेदखल करे, मौका व राजस्व रिकोर्डस की यथास्थिति कायम रखे, ना ही अप्रार्थी सं0 10 विवादित आराजीयात की बावत किसी भी प्रकार के दस्तावेजात पंजिबद्ध व दस्तदीक करे।

विद्वांन अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में कहा कि प्रार्थीगणो ने झूठा शपथपत्र व झूठा वादपत्र पेश किया है। जिससे प्रार्थीगणों का प्राईमाफेसाई आयद व साबित नही होता है। मिन अप्रार्थी संख्या–1 महनती व परिवार का भला बुरा सोचने की क्षमता रखता हूं। उक्त अराजीयात का बेचान व तबादला मिन अप्रार्थी संख्या–1 ने प्रार्थीगणों की सहमति से किया था। उस वक्त प्रार्थीगण सहमत थे लेकिन अब दीगर लोगो के बहकावे में आये हुए है। दिनांक 02.07.2012 की समस्त कहानी प्रार्थीगणो ने नितान्त गलत व मिथ्या, बनावटी दर्ज की है। मिन अप्रार्थी संख्या–1 ने प्रार्थीगणो की सहमति से बेचान किया है। प्रार्थीगणो को कोई अपूरणीय क्षति नही होती है और ना ही प्रार्थीगण मिन अप्रार्थी संख्या–1 को किसी भी सूरत में हुक्मईम्तनाई चन्दरोजा से पावन्द कराने का अधिकारी नही है। मिन अप्रार्थी भूतपूर्व सैनिक है। प्रार्थी संख्या 1 मिन अप्रार्थी संख्या–1 का सगा पुत्र है। अतः जवाब पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी मिन अप्रार्थी संख्या–1 को किसी भी सूरत में जरिये हुक्मईम्तनाई चन्दरोजा से पावन्द कराने का अधिकारी नही है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

अप्रार्थी संख्या 4 व 8 ने न्यायालय में उपस्थित होकर अपना जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जिसमें अंकित किया कि विवादित आराजी हिन्दु मुश्तर्फा खानदान की दादालाई आराजी नही है। वास्तविकता यह है कि औमप्रकाश शिक्षित व्यक्ति है और प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 8 एक ही परिवार के है। यानी प्रार्थीगणो का अप्रार्थी संख्या 8 सगा चाचा है और आराजी ख0न0 483/395, 357, 485/392 के बेचान की जानकारी प्रार्थीगणो को सदैव से रही है और इनकी सलाह से ही औमप्रकाश द्वारा बेचान किया गया था। उक्त खरीद से ही क्रेतागण काबिज काश्त है। प्रार्थी सं0 1 पुलिस में नौकरी करता है और नाजायज तंग व परेशान करने की नियत से लगत तथ्य दर्ज करते हुये प्रार्थनापत्र पेश किया है। जो प्रार्थीगणो ने खसरा नम्बर वादपत्र में दर्ज किये है उसमें प्रार्थीगण का कोई हक हिस्सा नही है क्योंकि स्वयं औमप्रकाश द्वारा अपनी जिस्मानी मेहनत करके यह भूमि खरीद की चूकि देवकरण जी इनके पिता

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

थे और कर्ता परिवार थे इसलिये उनके नाम बैयनामें कराये गये बल्की ये संयुक्त परिवार की भूमि नही थी। बल्की औमप्रकाश द्वारा खरीद की हुई थी। प्रार्थीगण गैरवास्ता गैरकाबिज विवादित आराजी है। गलत तथ्य दर्ज करते हुये ये दावा पेश किया है क्योंकि जबाबदारान एक ही गॉव के एक ही परिवार के है इसलिये समस्त जानकारी है। बेचान जो किया गया है वो विधिसम्मत किया गया है। इसलिये प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र काबिल खारिज है, खारिज फरमाया जावे।

दिनांक 02.07.2012 की समस्त कहानी प्रार्थीगणो ने मिथ्या, बनावटी, मनघडन्त दर्ज की है। प्रार्थीगण को कोई अपूरनीय क्षति नही होती है। खरीदशुद्धा आराजी का अमल राजस्व रिकोर्डस में हम अप्रार्थीगणो के नाम खातेदारी का हो रहा है। प्रार्थीगण गैरवास्ता गैर काबिज विवादित आराजी है। प्रार्थीगण मिन अप्रार्थीगण रिकोर्डेड खातेदार काश्तकार को किसी भी सूरत में जरिये हुक्मईम्तनाई चन्दरोजा से पाबंद करवाने के अधिकारी नही है। प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र काबिल खारिज है, खारिज फरमाया जावे। प्रार्थना पत्र का जिमन न0 6 लगत है, अस्वीकार है। सुविधा का संतुलन व नापूर्ति होने वाली क्षति बहक मिन अप्रार्थीगण है। प्रार्थनापत्र का जिमन नं0 7 काबिल गौर अदालत श्रीमान है।

अतः प्रार्थना गलत है, अस्वीकार है। प्रार्थीगण मिन अप्रार्थीगण रिकार्डेउ खातेदार काश्तकार को किसी भी सूरत में जरिये हुक्मईम्तनाई चन्दरोजा से पाबंद करवाने के अधिकारी नही है। प्रार्थीगणों ने समस्त तथ्य गलत व मिथ्या दर्ज अपने प्रार्थना पत्र में किये है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र काबिल खारिज है, खारिज फरमाया जावे।

बहस उभय पक्षकारान पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। मूल दावा में संलग्न प्रति जमाबंदी सम्वत 2065–2068 ग्राम लाहड़ोद तहसील कोटकासिम व नामांकरण रजिस्टर ग्राम लाहड़ोद की प्रति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वाद भूमि औमप्रकाश को देवकरण से विरासतन प्राप्त हुई है। विरासतन पैतृक भूमि में पुत्र पुत्री का जन्म से हक हिस्सा होता है। अप्रार्थीगण यह साबित करने में असफल रहे है कि वादभूमि अप्रार्थी सं0 1 की खुद पैदाकर्ता सम्पति है । अप्रार्थी सं0 1 ने विरासतन प्राप्त भूमि को पूर्व में अन्तरण किया है। अप्रार्थी सं0 1 द्वारा अपनी पत्नी के नाम जो सम्पति खरीदी गई है उक्त सम्पति क्रय करने में अप्रार्थी सं0 1, प्रार्थी स्वयं क्रेता व अन्य पारिवारिक सदस्यों का क्या योगदान रहा है, अप्रार्थी ने इस बिन्दु को साबित नही किया है। उक्त सम्पति वादभूमि के पूर्व विक्रय की धनराशि से क्रय की या अन्य स्रोतो से क्रय की है इन सभी बिन्दुओं का अप्रार्थी वकील ने बहस में कथन किया है मगर इन्हे किसी दस्तावेज या अन्य तथ्यों की सहायता से साबित नही किया है। उक्त सभी बिन्दुओं का मूलवाद में साक्ष्यों के आधार पर गुणावगुण पर निर्णय किया जाना है। अप्रार्थी वादभूमि को खुद पैदाकर्ता साबित करने में असफल रहा है। वादभूमि पैतृक विरासतन सम्पति है व प्रार्थी का उसका जन्म से हक हिस्सा है, प्रार्थी वादभूमि में अपना हक हिस्सा प्रथम दृष्टया साबित करने में सफल रहा है। इस प्रकार मामला प्रथम दृष्टया प्रार्थी के पक्ष में साबित है।

प्रार्थी का वादभूमि में कितना हक हिस्सा है। अप्रार्थी कितनी भूमि विक्रय कर चुका है, अप्रार्थीगण कितनी भूमि का तबादला कर चुके है। उक्त सभी विवाधक

ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

बिन्दुओ का मूल वाद में गुणावगुण पर निर्णय किया जाना है। वादभूमि के विक्रय व तबादला मे प्रार्थी की सहमति नही है। अप्रार्थी सं0 1 ने पूर्व में भी वादभूमि को अंतरित किया है व यदि अप्रार्थी सं0 1 वादभूमि का अंतरण कर देता है तो प्रार्थी को उसका हक हिस्सा नही मिल पायेगा जिससे प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी।

प्रार्थी वादभूमि में अपना हक हिस्सा की घोषणा चाहता है। यदि प्रार्थी को उसका हक हिस्सा प्राप्त हुए बिना अप्रार्थी द्वारा वादभूमि का अंतरण कर दिया जाता है तो प्रार्थी अपने हक से वंचित हो जाएगा जिससे प्रार्थी को असुविधा होगी, इस प्रकार सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में साबित है।

अधिनियम की धारा 212 में यह स्पष्ट प्रावधान किए गए है कि वादग्रस्त संपत्ति को किसी भी पक्षकार द्वारा दुर्व्ययन करने, उसे नुकसान/हानि पहुँचाने या अंतरित करने का खतरा अथवा भय हो तो ऐसी स्थिति में न्यायालय विवादित संपति के परिरक्षण और संरक्षण के लिए निवारक अनुतोष के रूप में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर सकता है। जहॉ वाद भूमि के स्वत्व व हक हिस्सा के सम्बन्ध में दस्तावेजो के आधार पर गम्भीर एवं सदभावी विवाद हो तो दावे के निस्तारण तक वादग्रस्त आराजी को अंतरित नही करने तथा उसकी यथास्थिति कायम रखना न्याय की दृष्टि से उचित होकर विधि के प्रावधानो के प्रतिकूल भी नही है। वादभूमि के अंतरण से वादक्लिष्टता व वाद बहुलता का जन्म होगा। दौराने वाद वादभूमि का अंतरण किया जाना न्यायोचित नही है। घोषणात्मक वाद में जहॉ वादभूमि में पक्षकारान के हक हिस्सा की घोषणा की जानी हो व सम्पति के अंतरण दुर्व्ययन का खतरा हो तो सम्पति को दौराने वाद संरक्षित रखा जाना न्यायोचित है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर दिनांक 03.07.2012 के आदेश को ताफैसला वाद कन्फर्म कर अप्रार्थीगण के विरूद्ध ताफैसला वाद अस्थाई निषेधाज्ञा इस अमर की जारी की जाती है कि अप्रार्थीगण विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 375/0.32 हैक्टेयर , 483/395/0.11 है0, 277/1.41, 368/0.39, 357/0.37, 485/392/0.07, 400/0.47 हैक्टेयर वाके ग्राम लाहडोद तहसील कोटकासिम को रहन,बैय,हिबा,लीज व अन्य दीगर तरीके से मुन्तकिल ना करे ना ही प्रार्थीगण के कब्जा काश्त, उपयोग, उपभोग आराजी प्रार्थीगण मे अप्रार्थीगण मजाहमत मदाखलत पैदा ना करे, आराजी जोतने, फसल बोने, काटने, समेटने में रूकावट पैदा ना करे, न जबरन कब्जा करे ना जबरन बेदखल करे। रिकार्ड व मौका की यथा स्थिति कायम रखे ।

निर्णय आज दिनांक 22.07.2019 को टंकित किया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी

राजकुमार कस्वा (R.AS)
उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम(अलवर)

Scanned by CamScanner